an>

Title: Need to amend the new advertisement policy in favour of small and medium newspapers.

श्री चंद्रकांत खैरे (औरंगाबाद) ः मैं माननीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री जी का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं कि विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय (डी.ए.वी.पी.) सूचना प्रसारण मंत्रालय ने तत्काल प्रभाव से समाचार-पत्रों के लिए नई विज्ञापन नीति लागू की है। इस नई नीति में उल्लिखित शर्तों को लघु एवं मझौले समाचार-पत्रों द्वारा पूरा करना संभव नहीं है और न ही यह शर्तें तर्कसंगत प्रतीत होती हैं। इन शर्तों को पूरा न करने पर समाचार-पत्रों के विज्ञापन तत्काल प्रभाव से बंद हो जाएंगे। परिणामस्वरूप इस नीति से अधिकाश लघु एवं मझौले समाचार-पत्रों का प्रकाशन बंद होने की स्थिति में पहुंच जाएगा।

इस विज्ञापन नीति के लागू होने से समाचार-पत्र प्रकाशन का कार्य सिर्फ चंद औद्योगिक घरानों व कंपनियों तक सीमित रह जाएगा। लघु एवं मझौले समाचार-पत्रों के प्रकाशकों की दिक्कतों के मद्देनजर मेरा निवेदन है कि कृपया इस ओर आप सहानुभूतिपूर्वक ध्यान दें तथा नई विज्ञापन नीति को यथोचित संशोधित कराकर लघु एवं मझौले समाचार-पत्रों के अनुकूल बनवाने की कृपा करें ताकि छोटे समाचार-पत्रों का निर्बाध प्रकाशन होता रहे और हम स्वस्थ पत्रकारिता के कर्त्तव्य का भली प्रकार निर्वहन कर सकें।